सं.000/वीजीएल/154
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. कॉम्पलेक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली - 110023
दिनांक: 15/12/2005

कार्यालय आदेश सं0 73/12/05

विषय : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के फाँसने के तथा अन्य मामलों में गवाह के रूप में कार्य कर रहे परंतु बाद में मुकर जाने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध कार्रवाई ।

आप जानते हैं कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तलाशी, फाँसने आदि के मामलों में गवाहों के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से अक्सर सरकारी सेवकों की सेवाओं की माँग करती है । इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य विश्वसनीय स्वतंत्र गवाह प्राप्त करना है जो न्यायालय मुकदमों के दौरान छानबीन का सामना कर सकें । तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आयोग के ध्यान में लाया है कि बड़ी संख्या में मामलों में, सरकारी सेवक, जिन्हें ऐसे गवाहों का कार्य सौंपा जाता है, मुकदमों के दौरान अपने मूल बयानों से यह तर्क देते हुए पलट जाते हैं कि उन्होंने विषय-वस्तु पढ़े बिना ही ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिया था अथवा उन्होंने वास्तविक कार्यवाहियाँ नहीं देखी थी ।

2. यह स्पष्ट है कि ये लोक सेवक, जिनकी सेवाएं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपयोग में ली जाती हैं, गुप्त कारणों से अपने बयान से पलट जाते हैं । निश्चित रूप से यह आशा नहीं की जाती है कि शिक्षित तथा जिम्मेवार लोक सेवक ऐसे असंगत आचरण का सहारा लें, जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों को कमजोर करता है तथा लोकहित के विपरीत जाता है ।

3. सतर्कता मैनुअल खंड-1, अध्याय-XIII के नियम 16 में प्रावधान है कि यदि एक सरकारी सेवक, जिसने प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में कोई बयान दिया है, जाँच में गवाही के दौरान अपना बयान बदलता है, तथा यदि वह ऐसा बिना किसी औचित्य के करता है अथवा किसी भी पक्ष की तरफदारी करने के उद्देश्य से ऐसा करता है तो उसका यह आचरण, आचरण नियमावली के नियम 3 का उल्लंघन होगा जिसके लिए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है । आपराधिक मामलों के संदर्भ में ऐसा गलत आचरण और भी अधिक संगीन हो जाता है ।

4. आयोग का यह मानना है कि लोक सेवकों की ओर से की जाने वाली इस हानिकर प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है । अत:, आयोग यह चाहता है कि जब भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ऐसा गलत आचरण किए जाने की सूचना दे तो इसे अत्यधिक गंभीरता से लिया जाए तथा आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई तत्परतापूर्वक की जाए ।

-ह0-

(बलविन्दर सिंह)
अपर सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि :
निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।